

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA



# दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-31032021-226283  
SG-DL-E-31032021-226283

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 111]

दिल्ली, बुधवार, मार्च 31, 2021/ चैत्र 10, 1943

[रा.रा.क्ष.दि. सं. 388

No. 111]

DELHI, WEDNESDAY, MARCH 31, 2021/ CHAITRA 10, 1943

[N. C. T. D. No. 388]

भाग IV  
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गुरुद्वारा चुनाव निदेशालय

अधिसूचना

दिल्ली, 31 मार्च, 2021

सं. फा. 1/55/गु.नि./2016/3149.—दिल्ली सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1971 (1971 का 82वां) की धारा 3 के अंतर्गत जो कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (सदस्यों का चुनाव) नियमावली, 1974 के नियम 11 के सहित पठित के अनुसरण में उपराज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के सभी गुरुद्वारा वार्ड के सिख मतदाताओं को उनके सम्बंधित गुरुद्वारा वार्ड से सदस्यों का चुनाव करने के लिए आमंत्रित करते हैं। उम्मीदारों का नामांकन दिनांक 31 मार्च, 2021 (बुधवार) से प्रारम्भ होगा। चुनाव प्रक्रिया 29 अप्रैल 2021 (गुरुवार) तक या उससे पहले पूरी कर ली जाएगी।

आदेश से तथा उपराज्यपाल, रा.रा.क्षे, दिल्ली के नाम से  
संजीव खिरवर, प्र. सचिव (गुरुद्वारा चुनाव/राजस्व)

**DIRECTORATE OF GURDWARA ELECTIONS**  
**NOTIFICATION**

Delhi, the 31st March, 2021

**No. F.1/55/2016/DGE/3149.**—In pursuance of Section 3 of Delhi Sikh Gurdwaras Act, 1971 (82 of 1971) read with Rule 11 of Delhi Sikh Gurdwara Management Committee (Election of Members) Rules, 1974, Lt. Governor, Delhi hereby calls upon the Sikh Electors of all the Gurdwara Wards of National Capital Territory of Delhi to elect members of Delhi Sikh Gurdwara Management Committee in respect of their respective Gurdwara Wards. The nominations shall start with effect from 31<sup>st</sup> March, 2021 (Wednesday). The election process shall be completed on or before 29-04-2021 (Thursday).

For and on behalf of the Lt. Governor of N.C.T, Delhi  
SANJEEV KHIRWAR, Pr. Secy. (Revenue/G.E.)